संख्या 652/XIX/08– 162/ खाद्य/2004

प्रेषक,

डा0 दिलबाग सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 03 मई, 2010

विषयः–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन तथा चयन समितियों के गठन सम्बन्धी प्राविधानों के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति व चयन समिति के गठन के संबंध में वर्तमान में प्रचलित शासनादेश संख्या 730/29–खा–99 दिनांक 2–12–2009 तथा शासनादेश सख्या 1609/**XIX**/2005 दिनांक 15 अक्टूबर, 2005 में कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयॉ आ रही हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों में निम्नानुसार संशोधन किये जाता हैः–

1– ग्रामसभा में एक ही दुकान खोली जाय।

2– 4000 यूनिट से कम यूनिट होने पर दूसरी दुकान किसी भी दशा में न खोली जाय।

3– वर्तमान शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2005 के ख के(4) में उल्लेखित अर्हताओं में निम्न व्यक्तियों को भी सम्मलित किया जायः–

i– ऐसे आन्दोलनकारी जो उत्तराखण्ड आन्दोलन में नियमानुसार सक्रिय रहे हों, को वरीयता प्रदान की जायेगी।

ii– विधवाओं एवं ऐसे बेरोजगार युवक/युवतियों को जिनका पंजीकरण सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी।

iii– भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, युद्व में घायल विकलांग सैनिकों एवं शारीरिक अक्षमता वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को वरीयता दी जाय।

4– दुकान की रिक्तियों के विरूद्व प्राप्त प्रार्थना पत्रों में यदि रिक्तियों से काफी अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दुकान आवंटन हेतु अर्हतायें पूरी करते हैं तो ऐसी दशा में दुकानों का चयन, लाटरी निकाल कर दिया जाय, ताकि शिकायत का कोई अवसर न मिले और सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे।

5– शासनादेश दिनांक 27 मार्च 1999 में अनुसार शहरी क्षेत्रों के दुकानों के आवंटन हेतु गठित चयन समिति में वार्ड सदस्य को भी सदस्य नामित किया जाता है। उक्त वार्ड सदस्य उसी वार्ड का होना चाहिये जिस क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन किया जाना है।

6– दुकानों के नियुक्त अधिकारी जिलाधिकारी हैं अतएव दुकान चाहे शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो दुकान का निरस्तीकरण जिलाधिकारी के आदेश से ही किया जाय।

7– उपभोक्ताओं की सुविधावों को ध्यान में रखते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खुलने एवं बन्द होने का समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा अपरान्ह 3 बजे से 7 बजे तक निश्चित किया जाता है। शहरी क्षेत्र में बन्द का दिन श्रम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तथा ग्रामीण क्षेत्र में रविवार का दिन निर्धारित किया जाता है।

8– ग्रामीण क्षेत्र में जमानत धनराशि रू0 1000.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 2000.00 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अनुबन्ध धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3000.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 5000.00 निर्धारित की जाती है।

9– यदि किसी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को तीन बार आर्थिक दण्ड दिया जाता है तो चौथी बार अनियमित्ता पाये जाने पर उसकी दुकान निरस्त कर दी जाय। दुकान निरस्त किये जाने के उपरान्त भविष्य में उस विक्रेता को पुनः सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटित न की जाय।

10– राज्य में एकरूपता बनाये जाने के उददेश्य से सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेताओं से भराये जाने वाला अनुबन्ध पत्र का प्रारूप शासन स्तर से पृथक से निर्गत किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 730/29–खा–99 दिनांक 2–12–2009 तथा शासनादेश संख्या 1609/XIX/2005 दिनांक 15 अक्टूबर, 2005 में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(डा0 दिलबाग सिंह)
सचिव।

संख्या 652 (1) XIX/08–162 खाद्य/2005तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, हल्द्वानी/देहरादून।
5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– सहायक आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
7– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड, को इस निर्देश के साथ कि इस शासनादेश की एक प्रतियॉ जिले के सभी परगनाधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10–समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतीश चन्द्र बडोनी)
अपर सचिव।